

सूचना विवरणिका

Information Brochure





बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय

बाँदा- 210001, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा-2022

U.P. Combined Agriculture and Technology Entrance Test-2022 conducted for Admission in different programmes of the Uttar Pradesh State Agriculture Universities

Official Website: www.upcatetexam.org

आरक्षण (Reservation)

पाठ्यक्रम की कुल सीटों पर निम्नवत् आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

क्र.सं.	लम्बवत् आरक्षण (मुख्य श्रेणी)			क्र.सं.	क्षैतिज आरक्षण (उप श्रेणी)	
					प्रत्येक मुख्य श्रेणी में निम्नलिखित उप श्रेणी को	
					निम्नवत् आरक्षण देय होगा	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	21%		1.	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के बच्चे (FF)	2%
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	2%		2.	दिव्यांगजन (PWD)*	5%
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	27%		3.	सैन्य कर्मचारी के पुत्र/पुत्री (DP)	1%
4.	अनारक्षित (UR)	40%		4.	कानपुर, मेरठ, अयोध्या एवं बाँदा कृषि विश्वविद्यालयों के नियमित कर्मचारियों के पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी (UE) {कंवल स्नातक पाठ्यक्रमों मेंबी०वी०एस—सी० एण्ड ए०एच० पाठ्यक्रमको छोड़कर}	10%
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	10%			कानपुर, मेरठ, अयोध्या एवं बाँदा कृषि विश्वविद्यालयों के नियमित कर्मचारियों के पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी(UE)को बी०वी०एस—सी० एण्ड ए०एच० पाठ्यक्रम हेतु	2.5%

नोट :यूपीकैटेट—2022 प्रवेश परीक्षा हेतु आरक्षण राज्य सरकार के प्रभावी नियमों के अनुसार दिया जायेगा।

- * Admission shall not be allowed if a candidate suffers disabilities in physical fitness as listed below:
 - a) Disability of total body including disability of chest/spine more than 50%.
 - b) Disability of lower limb of more than 50%,
 - c) Disability of upper limb,
 - d) Visually handicapped candidates and those with hearing disability,
 - e) Candidates with progressive diseases like myopathies, etc.
 - f) Disabilities which otherwise would interfere in the performance of the duties of a veterinarian.

The disability should be certified by a duly constituted and authorized Medical Board comprising of atleast three-specialists out of which two should be of the specialty concerned and the candidate has to present him/herself before the Medical Board. The last valid disability certificate of the candidate from a Medical Board should not be more than three months old from the date of submitting his/her certificate for disabled candidates.

आरक्षित श्रेणी योग्य के सीटों के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा:-

- (i) आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के नियम मान्य होंगे।
- (ii) उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार आरक्षण प्रतिशत एवं तत्सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।
- (iii) सभी पाठ्यक्रमों में लम्बवत आरक्षण (मुख्य श्रेणी) एवं क्षेतिज आरक्षण FF, PWD, DP एवं UE (उप श्रेणी) प्रदान किया जायेगा।